

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
संकल्प

सं०-15/परिवाद (मुंगेर) 12-380/2024-

(15)/रा०, पटना-15, दिनांक-.....

परिवादी श्री संदीप कुमार, ग्राम-पो०-बंगलवा, थाना-लड़ेयाटांड, जिला-मुंगेर द्वारा श्री वीरेन्द्र कुमार, अंचल अधिकारी, धरहरा, मुंगेर के विरुद्ध जाँचोपरात कतिपय आरोप प्रतिवेदित है यथा :-

(i) धरहरा अंचल अंतर्गत मौजा-सराधी, खाता सं०-457, खेसरा-153, रकवा-16 एकड़ 40 डी० गैमजरुआ खास पुरानी किस्म परती के कुछ अंश लगभग 01 एकड़ सरकारी जमीन को वाद सं०-78R27/24-25 एवं 93R27/24-25 दाखिल-खारिज करते हुए जमीन पर भू-माफियाओं को घेराबन्दी करने का आदेश दिया गया।

(ii) एक अन्य जमाबंदी संख्या-75/81 (जो मो० अख्तर व अनवर के नाम से था) जिसका पंजी-2 में खाता, खेसरा एवं चौहद्दी अंकित नहीं होने के बावजूद 1932 के बन्दोवस्ती परवाना के कागजात का सत्यापन किये बगैर वर्तमान अंचल अधिकारी द्वारा उसका भी खेसरा संख्या-153 कर दिया गया, जो खतियान के अनुसार गैर मजरुआ मालिक है।

(iii) मौजा- सराधी, थाना नं०-283/13, जमाबंदी नं०-73/79 से० अलीजान मियां, पे० इलाही, सा०- महदमा के नाम रकवा-69(उनहत्तर) डी० की जमाबंदी चल रही थी। जमाबंदी पर खाता-457, खेसरा- 155, रकवा-69डी० दर्ज था, जो आनलाईन जमाबंदी पर दिनांक-17.12.2022 को खेसरा 155 की जगह खेसरा 153 का सुधार बन्दोवस्ती परवाना दिनांक-05.07.1932 के आधार पर किया गया। खेसरा 155, खाता-415 से संबंधित है, जिसका रकवा-30(तीस) डी० है, जो रैयती खाते से संबंधित है।

(iv) बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 के प्रावधान के अनुसार पूर्व से चली आ रही बंदोवस्ती परवाना के संबंध में संबंधित जमीनदार द्वारा रिटर्नस के माध्यम से सारी भूमि विवरणी का ब्यौरा एवं बंदोबस्तीदार का नाम 1950 के बाद संबंधित अंचल अधिकारी के कार्यालय में जमा करना था। जब अंचल अधिकारी, धरहरा को इस रिटर्नस साक्ष्य संबंधित आवेदक के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया तो किस आधार पर उनके द्वारा इस खेसरा संख्या का परिवर्तन किया गया।

(v) किसी अंचल के गैर मजरुआ मालिक भूमि के संरक्षण संबंधित अंचलाधिकारी एवं उनके राजस्व कर्मचारी होते हैं। ऐसी स्थिति में बिना किसी सक्षम न्यायालय/प्राधिकार के आदेश के किसी व्यक्ति के निजी भूमि खाता में गैर मजरुआ मालिक भूमि की प्रविष्टि विधि सम्मत नहीं है।

(vi) बिहार भूमि दाखिल-खारिज नियमावली-2012 की धारा-5(10) के अनुसार राजस्व कर्मचारी को दाखिल-खारिज हेतु प्रस्ताव देने में 11 बिन्दुओं पर प्रतिवेदन देना होता है। उक्त नियमावली की धारा-5(11) में अंचल निरीक्षक को कर्मचारी द्वारा दिये गये जाँच प्रतिवेदन का सत्यापन कर प्रतिवेदन देना होता है। जिसका भी सही से अनुपालन नहीं किया गया।

(vii) अंचल अधिकारी, धरहरा के प्रतिवेदन में गिफ्ट ऑफ डीड के आधार पर दाखिल-खारिज करने की बात बतायी गयी है। बिहार भूमि दाखिल-खारिज अधिनियम 2011 की धारा-6 (9) के अनुसार क्रय-विक्रय, दान अथवा विनिमय के द्वारा अंतरण के आधार पर दाखिल-खारिज का दावा स्वीकृत नहीं किया जायेगा जबतक वह निबंधित न हो। इस मामले में अंचल अधिकारी, धरहरा के द्वारा बिना निबंधित गिफ्ट ऑफ डीड के आधार पर दाखिल-खारिज करने जैसे गंभीर आरोप प्रतिवेदित है।

2. उक्त प्रतिवेदित आरोपों को विभाग स्तर पर गठित कर व अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरान्त प्रतिवेदित आरोपों के संबंध में पत्रांक-802(15), दिनांक-22.05.2025 द्वारा श्री वीरेन्द्र कुमार से बचाव का लिखित अभिकथन की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री कुमार द्वारा कार्यालय अंचल अधिकारी, धरहरा, मुंगेर के पत्रांक-1084 दिनांक-09.06.2025 से अपना बचाव का लिखित अभिकथन/स्पष्टीकरण विभाग में समर्पित किया गया।

3. श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-1001(15) दिनांक-19.06.2025 द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर मुंगेर को स्थल निरीक्षण कर जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी।

भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर मुंगेर के पत्रांक-1155 दिनांक-08.09.2025 से स्थल निरीक्षण कर जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया। प्राप्त स्थलीय जाँच प्रतिवेदन में प्रश्नगत मामले में संबंधित राजस्व कर्मचारी, तत्कालीन अंचल अधिकारी, धरहरा द्वारा बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 के आलोक में परवाना (बंदोबस्ती पर्चा) का सत्यापन किये बिना एवं अंचल अधिकारी द्वारा बिहार दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 की धारा-6(9), 6(12) के अनुपालन किये बिना एवं सक्षम न्यायालय/प्राधिकार के बिना गैरमजरूआ मालिक भूमि का परिमार्जन, तदालोक में दाखिल खारिज की गयी है, जो नियमानुकूल नहीं है, अंकित किया गया है।

4. आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों, श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर मुंगेर से प्राप्त स्थलीय जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा प्रतिवेदित आरोपों की सम्यक् जाँच के निमित्त अनुशासनिक कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया।

5. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री वीरेन्द्र कुमार के विरुद्ध गठित आरोप पत्र में अंकित आरोपों की सम्यक् जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-17(2) के प्रावधानों के तहत अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की जाती है।

6. इस अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन हेतु अपर समाहर्ता, मुंगेर को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है तथा जाँच/संचालन पदाधिकारी के समक्ष पक्ष प्रस्तुत करने हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता, मुंगेर को उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

7. श्री कुमार से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दे, स्वयं उपस्थित रहेंगे।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति समाहर्ता, मुंगेर/अपर समाहर्ता मुंगेर/भूमि सुधार उप समाहर्ता, मुंगेर/श्री वीरेन्द्र कुमार, अंचल अधिकारी, धरहरा, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ भेज दी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(अरविन्द कुमार),

सरकार के अवर सचिव।

स्पीड-पोस्ट
ई-मेल

ज्ञापांक-15/परिवाद (मुंगेर) 12-380/2024-.....(15)/रा0, पटना-15, दिनांक-.....
प्रतिलिपि:- समाहर्ता, मुंगेर/भूमि सुधार उप समाहर्ता, मुंगेर/श्री वीरेन्द्र कुमार, अंचल अधिकारी, धरहरा, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

(अरविन्द कुमार),

सरकार के अवर सचिव।

स्पीड-पोस्ट

ज्ञापांक-15/परिवाद (मुंगेर) 12-380/2024-.....(15)/रा0, पटना-15, दिनांक-.....
प्रतिलिपि:- अपर समाहर्ता, मुंगेर को अभिलेख की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. निदेशित किया जाता है कि विभागीय कार्यवाही अविलम्ब प्रारम्भ करते हुए ससमय जाँच प्रतिवेदन मंतव्य सहित तीन प्रतियों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

अनु0- आरोप पत्र साक्ष्य सहित एवं स्पष्टीकरण की छायाप्रति।-

ह0/-

(अरविन्द कुमार),

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-15/परिवाद (मुंगेर) 12-380/2024-1735(15)/रा0, पटना-15, दिनांक-30/09/26

प्रतिलिपि:- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-3/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना (मूल प्रति में)/आई0टी0/मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Arvind Kumar
29/9/26

(अरविन्द कुमार),

सरकार के अवर सचिव।